

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र05(2)बजट(योजना)-03/2017-29 (वेजट) / खाद्य,पटना-15,दिनांक-19-09-17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में

अवर सचिव-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना ।

विषय :-

मुख्यशीर्ष 2408, खाद्य भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01 खाद्य, लघुशीर्ष 101 प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष 0405 एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंत राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड सं0-18-2408011010405, मांग संख्या-18 केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से कुल 2,52,24,93,000 (दो अरब बावन करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-242 दिनांक 14.09.2017 के आलोक में मुख्यशीर्ष 2408, खाद्य भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01 खाद्य, लघुशीर्ष 101 प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष 0405 एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंत राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड सं0-18-2408011010405, मांग संख्या-18 केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से व्यय हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 942 दिनांक 01.09.2017, पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 3002/वि0 दिनांक 26.04.2017 एवं पत्रांक पत्रांक 428/वि0 दिनांक 31.03.2017 में निहित निदेश के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार आवंटित करते हुए आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

क्र0	ईकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पुनरीक्षित उपबंध	वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि
1	0405.13.08 हथालन व्यय	7,35,15,66,000	2,52,24,93,000

कुल 2,52,24,93,000 (दो अरब बावन करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार) रुपये मात्र

- उपर्युक्त आवंटित राशि विषयांकित शीर्ष यथा मुख्यशीर्ष 2408, खाद्य भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्य शीर्ष 01 खाद्य, लघुशीर्ष 101 प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष 0405 एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंत राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड सं0-18-2408011010405, मांग संख्या-18 केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगी ।



3. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
4. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-242 दिनांक 14.09.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जाती है।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत निकासी एवं अधिक निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि का ईकाइवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
7. दिये गये आवंटन प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र०५(२)बजट(योजना)-०३/२०१७-२९(पञ्च) खाद्य, पटना-१५, दिनांक-१९-०९-१७  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र०५(२)बजट(योजना)-०३/२०१७-२९(पञ्च) खाद्य, पटना-१५, दिनांक-१९-०९-१७  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र०५(२)बजट(योजना)-०३/२०१७-२९(पञ्च) खाद्य, पटना-१५, दिनांक-१९-०९-१७  
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

